माननीय रंजीत सिंह, जे. के समक्ष

राम करण उर्फ रोडा और अन्य, ---- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य — उत्तरदाता

CRIMINAL REVISION NO. 2004 OF 2006

27 नवंबर, 2006

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 319-ब्लाइंड मर्डर-जांच के दौरान निर्दोष पाए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं को आरोपमुक्त करना-केवल मृतक के बेटे के बयान के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाना-अधिक कुछ बताए बिना तथ्यों को दोहराना- न्यायालय की शक्तियां धारा 319 के तहत - विवेक का प्रयोग - केवल आपराधिक न्याय प्राप्त करने के लिए - अपराध में किसी व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में कुछ संदेह के आधार पर नहीं - न्यायालय को पहले से एकत्र किए गए सबूतों से उचित संतुष्टि होनी चाहिए और दोषसिद्धि की उचित संभावना है - मुकदमा अदालत ने एक अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के लिए निर्धारित कानूनी मापदंडों की अनदेखी की - याचिका स्वीकार की गई, ट्रायल कोर्ट को आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए मामला वापस भेज दिया गया।

निर्णय, कि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने के संबंध में विवेक का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग संयमपूर्वक किया जाना चाहिए और जब किया जाना चाहिए तो एक तर्कसंगत आदेश पारित करके किया जाना चाहिए। धारा 319 न्यायालय के पास एक विवेकाधीन शक्ति छोड़ती है और इसका प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब कुछ संदेह पर विचार किया जाए, बल्कि पहले से एकत्र किए गए साक्ष्य से उचित परिस्थितियाँ सामने आने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए।

(पैरा 7)

निर्णय, कि सत्र न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय ललित द्वारा दिए गए संस्करण का उल्लेख किया है, जिससे केवल यह पता चलता है कि उसने अपने पिता को याचिकाकर्ता और राजिंदर कुमार के साथ पेय लेते देखा था। जांच में यह तथ्य भी उजागर हुआ कि उसके पिता वापस नहीं आये थे और उनकी मां ने उन्हें जो कुछ बताया था. इस गवाह द्वारा याचिकाकर्ताओं को कोई अन्य भूमिका या हिस्सा नहीं दिया गया है। इस आधार पर, सत्र न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/201

के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। यह साक्ष्य याचिकाकर्ताओं की संलिप्तता के बारे में कुछ संदेह पैदा कर सकता है। यह सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पी.सी. सीआरपीसी की धारा 319 के तहत विवेकाधीन शक्तियांका प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब न्यायालय को लगे कि दोषसिद्धि की उचित संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्र न्यायालय ने विवेक का प्रयोग करते हुए कानून के मापदंडों की अनदेखी की है। याचिकाकर्ताओं को आरोपी के रूप में बुलाने का विवेक स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा दायर एक आवेदन पर नियमित तरीके से प्रयोग किया गया है। वह सामग्री, जिसने याचिकाकर्ताओं को बुलाने का आधार बनाया है, वह जांच एजेंसी के सामने पहले से ही मौजूद थी और उसके बाद उन्हें निर्दोष पाया गया और कॉलम नंबर 2 में दिखाया गया। कानूनी आवश्यकता को पूरा किए बिना, केवल कुछ तथ्यों को दोहराने से आपराधिक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मामले में बिना किसी औचित्य के असाधारण शक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

(पैरा 7)

निर्णय, संदेह यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि दोषसिद्धि की उचित संभावना है। जिन साक्ष्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को बुलाया गया है, उनसे 'दोषी ठहराने की उचित संभावना' की कानून की आवश्यकता का पता नहीं चलेगा। याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए निर्धारित कानूनी मापदंडों को तलब करते समय नजरअंदाज किया गया प्रतीत होता है, इसलिए विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द कर दिया जाता है।

(पैरा 8)

जे.एस. बेदी, एडवोकेट, *याचिकाकर्ताओं के लिए.*

विकास चौधरी, ए.ए.जी., हरियाणा.

निर्णय

रणजीत सिंह, जे.

(1) धारा 319 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के संबंध में कानूनी स्थिति अब तक काफी हद तक निश्चित/निश्चित हो चुका है और हो सकता है कि अधिक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता न पड़े। फिर भी जांच के दौरान निर्दोष पाए गए आरोपी के रूप में किसी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने के आदेश के पक्ष और विपक्ष में नियमित रूप से शिकायतें की जा रही हैं। ऐसा इसलिए

हो सकता है क्योंकि विभिन्न निर्णयों द्वारा तय और परिष्कृत किए गए कानून को अभी भी प्रत्येक मामले में तथ्यों पर लागू करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह अदालतों द्वारा लागू किए जाने वाले कानून का मामला है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से अलग-अलग अनुप्रयोगों को जन्म दे सकता है जिससे प्रभावित व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ व्यथित हो सकते हैं। वर्तमान मामला ऐसा प्रतीत होता है जहां विभिन्न न्यायिक फैसलों में निर्धारित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए आरोपी को तलब किया गया है और इसलिए वर्तमान याचिका के माध्यम से शिकायत की गई है। संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले इन सिद्धांतों पर ध्यान देने से पहले, इस मामले के तथ्यों का संक्षेप में संदर्भ देना और यह देखना उचित होगा कि इस प्रकार तय किए गए कानून के सिद्धांतों को सही ढंग से लागू किया गया है या नहीं।

(2) 29 जनवरी, 2006 को प्यारे लाल नामक व्यक्ति अपने घर से गायब हो गया। उसके बेटे द्वारा खोजने के काफी प्रयासों के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। अंततः 30 जनवरी, 2006 को उक्त प्यारे लाई के पुत्र द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, जिसमें खुलासा हुआ कि उसके पिता 29 जनवरी, 2006 की शाम को टहलने गये थे और उसके बाद वापस नहीं आये. अपने पिता का पता लगाने की प्रक्रिया में, शिकायतकर्ता पुत्र ने कालका की ओर बढ़ते समय सुपर स्टेशन सर्विस, राम नगर, कालका के पास एक छोटी सी भीड़ देखी। मौके पर पहुंचने पर उसने देखा कि हंस राज की खाली दुकान में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान उसने अपने पिता प्यारे लाल के शव के रूप में की। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से खून बहने के निशान देखे गए। तदनुसार, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने अपना संदेह व्यक्त करते हुए एफआईआर में यह भी खुलासा किया कि उसकी मां अपने पति की तलाश में लछमन सिंह के पेट्रोल पंप पर गई थी, जब संजू सेल्समैन ने उसे बताया था कि उसके पति को अकेले ऊपर की ओर जाते देखा गया था। शिकायतकर्ता ने आगे खुलासा किया कि रोडा नाम के एक व्यक्ति को रात करीब 8/9 बजे सुपर सर्विस स्टेशन के पास खड़ा देखा गया था। यह खुलासा करते हुए कि उनके पिता आमतौर पर रोडा और खिला राम के साथ शराब पीते थे, उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या के लिए उन पर उंगली उठाई गई थी। 30 जनवरी, 2006 को पुलिस ने केवल मृतक के दूसरे बेटे ललित का बयान दर्ज किया, जिसने खुलासा किया कि उसने याचिकाकर्ताओं और राजिंदर कुमार नामक व्यक्ति को आखिरी बार 29 जनवरी, 2006 की रात को देखा था जब वे एक साथ शराब पी रहे थे। मृतक की पत्नी ने अपना बयान देते हुए खुलासा किया कि राजिंदर कुमार ने रुपये उधार लिए थे। उसने अपने पति से 20,000 रुपये

मांगे और जब उसके दिवंगत पति ने भी इसकी मांग की, तो इससे दोनों के बीच कुछ कड़वाहट पैदा हो गई। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं और राजिंदर कुमार का नाम एफआईआर में था जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई। जांच के दौरान, पुलिस ने राजिंदर कुमार के पास से खून से सना हथियार और जले हुए कपड़ों की राख भी बरामद की, जो उसने कथित तौर पर घटना के समय पहना हुआ था। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं से कोई वसूली नहीं की गई, हालांकि एक प्रकटीकरण बयान में उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है कि उन्होंने लोहे की छड़ों का इस्तेमाल किया था। मृतक के शरीर पर मिले जख्मों के निशान कटे हुए हैं। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर, उन दोनों को इलाक़ा मजिस्ट्रेट की अदालत ने बरी कर दिया। उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया और धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट में कॉलम नंबर 2 में रखा गया।

(3) राजिंदर कुमार के ख़िलाफ़ मुक़दमा चल रहा है। इस मुकदमे के दौरान, 21 अगस्त, 2006 को मृतक के बेटे पी.डब्ल्यू 1 ललित का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उसने अपने पिछले संस्करण को दोहराया था कि उसने याचिकाकर्ता, आरोपी राजिंदर कुमार और उसके दिवंगत पिता को एक साथ शराब पीते देखा था। इस गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान की एक प्रति वर्तमान याचिका के साथ संलग्न है। इस साक्ष्य के आधार पर ही अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आरोपी के रूप में बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया। और सत्र न्यायाधीश, पंचकुला ने 23 अगस्त, 2006 के अपने आदेश के तहत अब याचिकाकर्ताओं को राजिंदर कुमार के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया है।

(4) याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि कानून द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को बुलाने का कोई मामला नहीं बनता है और तदनुसार, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं को बुलाने के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। मेरा ध्यान अब पीडब्ल्यू 1 ललित द्वारा दिए गए बयान (अनुलग्नक पी 2) पर आकर्षित करते हुए, वकील का तर्क होगा कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं को किसी भी भूमिका के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है और उनका बयान उसी के समान है, जो उन्होंने जांच के दौरान दिया था। यह कहने के अलावा कि इस गवाह ने अपने पिता, रॉड्स उर्फ राम करण, राजिंदर कुमार और राज कुमार को राजिंदर टेलर की दुकान में शराब लेते देखा था, उसने याचिकाकर्ताओं को कुछ भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। वास्तव में इस गवाह के बयान से यह भी पता चलता है कि हालांकि उसके पिता रात के दौरान

वापस नहीं आए थे, लेकिन वह अपने लापता पिता के बारे में बेखबर होकर अगली सुबह अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए चला गया था और जब बाद में पता चला तो उसे उसके भाई ने टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया था जब उनके पिता का शव कालका के सुपर सर्विस स्टेशन के पास पड़ा हुआ है।

(5) क्या इस तरह के सबूत आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए याचिकाकर्ताओं को बुलाने के लिए धारा 319 सीआरपीसी के दायरे को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होंगे, यह एक प्रश्न है, जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के मानदंड लगभग तय हो चुके हैं, श्री जे.एस. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील बेदी ने इस संबंध में कई निर्णयों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। **माइकल मचाडो और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य**[1] में निर्धारित कानून पर भरोसा करते हुए, वकील ने तर्क दिया कि हालांकि अदालत के पास किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए बुलाने की विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इस आधार पर अभ्यास किया गया कि न्यायालय को अपराध में उसकी संलिप्तता के बारे में कुछ संदेह था। वकील के अनुसार, किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाना। अदालत को पहले से एकत्र किए गए सबूतों से उचित संतुष्टि होनी चाहिए। माइकल मचाडो (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार कहा -

> "उपरोक्त धारा को लागू करने के लिए बुनियादी आवश्यकता यह है कि मुकदमे के दौरान या पूछताछ में एकत्र किए गए सबूतों से अदालत को यह प्रतीत होना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति, जिसे उस मामले में आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया गया है, ने कोई अपराध किया है जिसके लिए वह उस व्यक्ति जो पहले से ही आरोपित अभियुक्त है उस के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह पर्याप्त नहीं है कि न्यायालय को साक्ष्यों से अपराध में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में कुछ संदेह हुआ। दूसरे शब्दों में, न्यायालय को दो पहलुओं के संबंध में पहले से एकत्र किए गए साक्ष्य से उचित संतुष्टि होनी चाहिए। पहला यह कि दूसरे व्यक्ति ने अपराध किया है. दूसरा यह कि ऐसे अपराध के लिए पहले

[1] 2000 (2) R.C.R. (Criminal) 75

से ही दोषी ठहराए गए आरोपी के साथ किसी अन्य व्यक्ति पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।''

(6) इसी निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि न्यायालय को जो प्रदान किया गया है वह केवल एक विवेक और विवेकाधीन शक्ति है, इसलिए प्रदत्त का प्रयोग केवल आपराधिक न्याय प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी अदालत को जब भी किसी अन्य व्यक्ति को भी अपराध से जोड़ने वाले सबूत मिलते हैं तो उसे किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि मामले के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिसमें वह चरण भी शामिल है जिस पर मुकदमा पहले ही आगे बढ़ चुका है और तब तक एकत्र किए गए सबूतों की मात्रा भी शामिल है। **माइकल मचाडो (सुप्रा)** के मामले में, न्यायालय द्वारा **दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी और अन्य** [2] के मामले का एक विस्तृत संदर्भ दिया गया था और यह कहने के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा गया था कि यह वास्तव में है एक असाधारण शक्ति, जो न्यायालय को प्रदान की गई है और इसका उपयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब दूसरे व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद हों जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। यह ध्यान देने योग्य होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **माइकल मचाडो (सुप्रा)** के मामले में यह माना था कि जब तक अदालत को यह उम्मीद न हो कि मामले में उचित संभावनाएं हैं कि आरोपी को संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, तब तक अदालत को बचना चाहिए ऐसी कार्यवाही अपनाने से। **कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य**[3] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने की शक्तियों से निपटते हुए माना है कि यह शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब अन्य व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए बाध्यकारी कारण मौजूद हों। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा इस न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है और इनमें मुख्य रूप से **माइकल मचाडो (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित अनुपात के आधार पर कानून का सारांश दिया गया है। **लोक राम बनाम निहाल सिंह**[4] के मामले में हाल ही, माननीय सर्वोच्च

---

[2] 1983 (1) R.C.R. (Crl.) 73

[3] 2004 (7) J.T. 509 , AIR (S.C.) 4208

[4] 2006 (2) R.C.R. (Criminal) 707 (S.C.)

न्यायालय ने धारा 319 सीआरपीसी के दायरे को संक्षेप में प्रस्तुत किया था। माइकल मचाडो और दिल्ली नगर निगम (सुप्रा) के मामलों सहित विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए ।

(7) उपरोक्त निर्णय के विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के संबंध में विवेक का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग संयमपूर्वक किया जाना चाहिए और जब किया जाना चाहिए तो एक तर्कसंगत आदेश पारित करके किया जाना चाहिए। यह धारा न्यायालय के पास एक विवेकाधीन शक्ति छोड़ती है और इसका प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब कुछ संदेह पर विचार किया जाए, बल्कि पहले से एकत्र किए गए साक्ष्य से उचित परिस्थितियां सामने आने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए। यह भी माना गया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अदालत पर कोई बाध्यकारी कर्तव्य नहीं है। केवल संदेह ही आरोपी को बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं है और उसे तभी बुलाया जाना चाहिए जब उसे आरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने की उचित संभावना हो। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग आपराधिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना है।

(8) आइए देखें कि क्या याचिकाकर्ताओं को आरोपी के रूप में तलब करना ऊपर दिए गए और देखे गए कानून के मद्देनजर उचित ठहराया जा सकता है। इस मामले में तथ्यों और उन कारणों का जिक्र करते हुए जिनके कारण याचिकाकर्ताओं को बुलाया गया था, यह देखा गया कि उन्हें केवल ललित पीडब्लू 1 के बयान के आधार पर बुलाया गया है। सत्र न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय ललित द्वारा दिए गए संस्करण का उल्लेख किया है, जिससे केवल यह पता चलता है कि उसने अपने पिता को याचिकाकर्ताओं और राजिंदर कुमार के साथ पेय लेते देखा था। जांच में यह तथ्य भी उजागर हुआ कि उसके पिता वापस नहीं आये थे और उनकी मां ने उन्हें जो कुछ बताया था. इस गवाह द्वारा याचिकाकर्ताओं को कोई अन्य भूमिका या हिस्सा नहीं दिया गया है। इस आधार पर, सत्र न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 302/201आईपीसी के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। यह साक्ष्य याचिकाकर्ताओं की संलिप्तता के बारे में कुछ संदेह पैदा कर सकता है। माइकल मचाडो (सुप्रा) के मामले के अनुसार यह सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 319 के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग तब किया

जाना चाहिए जब अदालत को लगे कि दोषसिद्धि की उचित संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्र न्यायालय ने विवेक का प्रयोग करते हुए कानून के उन मापदंडों को नजरअंदाज कर दिया है जो माइकल मचाडो (सुप्रा) के मामले में निर्धारित कानून के बाद इस न्यायालय के कई निर्णयों में उचित रूप से तय और दोहराए गए हैं। याचिकाकर्ताओं को आरोपी के रूप में बुलाने का विवेक स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा दायर एक आवेदन पर नियमित तरीके से प्रयोग किया गया है।

(9) वह सामग्री, जिसने याचिकाकर्ताओं को बुलाने का आधार बनाया है, वह जांच एजेंसी के सामने पहले से ही मौजूद थी और उसके बाद उन्हें निर्दोष पाया गया और कॉलम नंबर 2 में दिखाया गया। केवल कुछ तथ्यों को दोहराने पर, बिना कुछ और संकेत दिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, उससे आपराधिक न्याय के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में इस असाधारण शक्ति का प्रयोग बिना किसी औचित्य के किया गया है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने मेरा ध्यान **देव प्रकाश बनाम मध्य प्रदेश राज्य[5], जसवन्त गिर बनाम पंजाब राज्य[6] और वेद प्रकाश उर्फ भगवान दीया बनाम हरियाणा राज्य[7]** के मामलों के निर्णयों की ओर आकर्षित किया है, जिसमें कहा गया है कि साक्ष्य सत्र न्यायालय द्वारा इस पर भरोसा करना दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये सभी निर्णय दोषसिद्धि के बाद मामले से निपट रहे थे और यह देखने के लिए सख्ती से लागू नहीं हो सकते हैं कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय ऐसी आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए या नहीं। किसी दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए आवश्यक सबूत का मानक उचित संदेह से परे सबूत है। "उचित संदेह" का अर्थ कोई हल्का, हवाई या निरर्थक संदेह नहीं है। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए सबूत के ऐसे सख्त और कड़े मानक की आवश्यकता नहीं है। यदि सम्मन के चरण में यह कानून की आवश्यकता है तो उसके बाद अदालत के पास निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तदनुसार, इन निर्णयों में अनुपात लागू नहीं होगा। यहां मानक, जैसा कि देखा गया है, 'सजा की उचित संभावना' प्रतीत होता है, न कि सख्त सबूत का मानक। यह मानने के लिए संदेह पर्याप्त नहीं है कि दोषसिद्धि की उचित संभावना है। जिन साक्ष्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं

---

[5] 2004 (3) R.C.R. (Criminal) 443

[6] (2006) 1 S.C.C. (Crl.) 579

[7] 2006 (3) R.C.R. (Criminal) 992

को बुलाया गया है, उनसे 'दोषी ठहराने की उचित संभावना' की कानून की आवश्यकता का पता नहीं चलेगा।' क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए निर्धारित कानूनी मापदंडों को उन्हें बुलाते समय नजरअंदाज कर दिया गया है, इसलिए विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाता है। **माइकल मचाडो (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित कानून के आलोक में आवेदन पर पुनर्विचार करने और फिर यह तय करने के लिए कि क्या याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए साक्ष्य में पर्याप्त आधार दिया गया था, मामले को सत्र न्यायालय में वापस भेज दिया गया है।

(9) उपरोक्त शर्तों में वर्तमान पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा